रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]	दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 378
No. 450]	DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939	[N.C.T.D. No. 378

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

सं.फा. डीसी/ओपीएस/टीपीटी/395/2014/264.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए जो नियम बनाना प्रस्तावित करते हैं, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इससे उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिन अधिसूचना की अवधि बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली/वाले किन्हीं आपत्तियों या किन्हीं सुझावों के साथ–साथ विचार किया जाएगा।

2. इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली – 110054 को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :–	(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा। (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी अंतिम प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा।
2. नियम 34क (1) का संशोधन	दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 34क के उपनियम (1) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

	"किसी भी गैर–परिवहन चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन की स्थिति में निम्न तालिका के कॉलम 1 में यथानिर्दिश्ट कोई पंजीकरण अंक उपलब्ध पंजीकरण शृंखलाओं में से किसी शृंखला में आबंटन श्रेणी 1, 2, 3, एवं 4 के संबंध में खुली निलामी द्वारा सर्वाधिक बोली देने वाले को अतिरिक्त भाुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा तथा श्रेणी 5 के संबंध में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा।

पसंद के पंजीकरण अंक तथा वर्तमान पंजीकरण अंक के प्रतिधारण हेतु प्रक्रियागत प्रभारों के समनुदेशान के लिये शुल्क

श्रेणी	पंजीकरण संख्या/अंक	श्रेणी 1, 2, 3, एवं 4 के लिये न्यूनतम आरक्षित मूल्य तथा श्रेणी 5 के लिये अतिरिक्त शुल्क		आबंटन की पद्धति
		चार पहिया वाहन	दो पहिया वाहन	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	पांच लाख रुपये	पचास हजार रुपये	ई–बोली द्वारा
2	0002 से 0009	तीन लाख रुपये	तीस हजार रुपये	
3	0010 से 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 एवं 9999	दो लाख रुपये	बीस हजार रुपये	
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 तथा 1313	एक लाख पचास हजार रुपये	पन्द्रह हजार रुपये	
5	कोई भी अन्य पंजीकरण अंक, जो उक्त श्रेणी संख्या 01 से 04 में उल्लिखित नहीं है और जो किसी व्यक्ति द्वारा पसंद की पंजीकरण संख्या के रूप में मांगा गया है जो पंजीकरण अंकों की शृंखलाओं में संख्याओं की क्रमवार संख्या को लांघ कर आबंटित किया जाता है।	पच्चीस हजार रुपये	पांच हजार रुपये	आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा।
6	नए गैर परिवहन चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन की खरीद पर मौजूदा पंजीकरण अंक का प्रतिधारण	एक हजार रुपये	पांच हजार रुपये	यथा लागू कॉलम 2 या 3 में यथाउल्लिखित प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान पर प्रतिधारण की अनुमति दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

वर्षा जोशी, सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 2017

No. F. DC/OPS/TPT/395/2014/264.—The following draft of rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 65 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

2. Objection or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary-cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054.

<u>Draft Rules</u>

Short Title and Commencement	**1.**(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.
Amendment in Rule 34 A (1)	**2.** In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in Rule 34A, for sub-rule(1), the following shall be substituted, "In case of non-transport four wheeled vehicle and two wheeled vehicle, the assignment of registration mark as specified in column 1 of the table given below, in any available series of registration marks shall be made available only on payment of additional fee to the highest bidder selected through open auction in respect of category 1, 2, 3 & 4 and payment of additional fee in respect of category 5 as per table given below:-

Fee for the assignment of Registration mark of choice and Processing charges for retention of existing Registration Mark:				
Category	**Registration Marks / Numbers**	**Minimum Reserve Price for Category 1, 2 3 & 4 and Additional fee for Category No. 5**		**Mode of allotment**
		Four wheeled Vehicles	**Two Wheeled Vehicles**	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	Rupees Five Lakhs.	Rupees Fifty Thousands.	**Through *e*-auction.**
2	0002 to 0009	Rupees Three Lakhs.	Rupees Thirty Thousands.	
3	0010 to 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 & 9999	Rupees Two Lakhs.	Rupees Twenty Thousands.	
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 & 1313	Rupees One Lakh & Fifty Thousands	Rupees Fifteen Thousands.	
5	Any other registration mark which is not mentioned in category no. 01 to 04 is sought by a person as a registration mark of choice by jumping the chronological order of numbers in a series of registration marks.	Rupees Twenty Five Thousands.	Rupees Five Thousands.	The allotment shall be made on payment of additional fee through on-line software on first come first serve basis.
6.	Retention of existing Registration Mark on purchase of new non-transport Four wheeled vehicle or Two wheeled vehicle	Rupees One Thousand.	Rupees Five hundreds.	The retention shall be allowed on payment of processing charges as mentioned in Column 2 or 3, as applicable.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VARSHA JOSHI, Secy.-cum-Commissioner (Transport)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.12.13 19:47:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.